विभाग के अन्तर्गत निदेशालय एवं संचालित योजनायें :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत एक निदेशालय कार्यरत है।

राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास एवं कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन इस निदेशालय के द्वारा की जा रही है। उपर्युक्त वर्गों के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है :–

	अनु0जाति की योजनायें		अनु0जनजाति की योजनायें
1	आवासीय विद्यालय	1	**आवासीय विद्यालय**
2	छात्रवृत्ति	2	**छात्रवृत्ति**
3	पूस्तक अधिकोष	3	**पूस्तक अधिकोष**
4	अत्याचार राहत	4	**अत्याचार राहत**
5	छात्रावास योजना	5	**छात्रावास योजना**
6	वैधिक सहायता	6	**संविधान की धारा–275(1) के तहत् आधारभूत संरचना विकास योजना**
7	मुख्य मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना।	7	**मुख्य मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना।**
8	विशेष केन्द्रीय सहायता योजना	8	**विशेष केन्द्रीय सहायता योजना**
9	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	9	**प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र**
10	मेरिट उन्नयन योजना	10	**थरूहट क्षेत्र विकास योजना**
11	बालिकाओं को पोशाक आपूर्ति	11	**बालिकाओं को पोशाक आपूर्ति**
12	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना	12	**परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना**
13	महादलित विकास योजना	13	**शोध कार्य**
14	बिहार राज्य अनु0जाति सहकारिता विकास	14	**जनजाति उप योजना**
15	व्यवसायिक प्रशिक्षण		
16	अनु0जाति उप योजना		
17	**अनु0जाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान योजना**		

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं उपलब्धि:

जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लिए विभाग जो योजनायें मुख्य रूप से चला रही है वे निम्न प्रकार हैं :–

शैक्षणिक योजनायें– शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणार्थ अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कई शैक्षणिक योजनायें चलायी जा रही है। इनमें मुख्यतः प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय,
महाविद्यालय एवं प्रावैधिकी संस्थाओं में अघ्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क से छूट, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों का संचालन, स्कूली छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति मेडिकल एवं इंजिनियरिंग कॉलेजों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना एवं अस्वच्छ कार्यों में जो परिवार लगे हुए हैं उनके बच्चों के लिए विशेष दरों पर छात्रवृत्ति की योजनायें हैं।

महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति– महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना गैर योजना, योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् संचालित है। इस योजना के तहत् सरकार के नियमों के तहत् मान्यताप्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्थान में अध्यनरत छात्र/छात्रा को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं दरों के अनुरूप छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत् संबंधित दिशा–निदेश केन्द्र सरकार के वेबसाईट Socialjustice.nic.in पर देखा जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जिला कल्याण पदाधिकारियों को समूचित राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के संस्थानों में अध्यनरत छात्र/छात्रा द्वारा विहित आवेदन पत्र में (संलग्न) जिस जिला में संस्थान अवस्थित है उस जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को संस्थान प्रधान से अग्रसारित कराते हुए भेजा जाना चाहिए। राज्य के बाहर के संस्थान में अध्यनरत छात्र/छात्रा द्वारा विहित आवेदन पत्र में संस्थान प्रधान से अग्रसारित कराते हुए उनके गृह जिला से संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के पते पर भेजा जाना चाहिए। अनु0जाति के अभिभावक का वार्षिक आय एक लाख रू0 से कम, अनु0जनजाति के लिए अभिभावक का वार्षिक आय एक लाख आठ हजार रू0 से कम होना चाहिए।

वर्ष 2009–10 में अनु0 जाति के लिए 2660.00 लाख रुपये एवं अनु0 जनजाति के लिए 129.00 लाख रुपये आवंटित किये गये है। जिससे अबतक कुल 33318 छात्र/छात्रा लाभंवित हुए है।

वर्ष 2010–11 में अनु0 जाति के लिए 2660.00 लाख रुपये एवं अनु0 जनजाति के लिए 165.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

विद्यालय छात्रवृत्ति

राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ग –1 से 10 तक में अघ्यनरत अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृति प्रदान किया जाता है। दिवाकालीन वर्ग–1 से 4 तक प्रति माह 15/– रू0, वर्ग–5 से 6 तक प्रतिमाह 30/– रू0 एवं वर्ग 7 से 10 तक प्रतिमाह 55/– रू0 के दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ग–1 से 10 तक छात्रावासी छात्र/छात्रा को प्रतिमाह 80/– के दर से छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2009–10 में योजना मद से अनु0 जाति के लिए 9123.00 लाख रुपये एवं अनु0 जनजाति के लिए 810.00 लाख रुपये आवंटित किये गये है। जिससे अबतक कुल 1268007 छात्र/छात्रा लाभंवित हुए है।

वर्ष 2010–11 में योजना मद से अनु0 जाति के लिए 9283.78 लाख रुपये एवं अनु0 जनजाति के लिए 810.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रावैधिकी छात्रवृत्ति

इस योजना के तहत् अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा जो राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों में टाईपिंग/ आशुलिपि/ कम्पयुटर का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उन्हें प्रत्येक माह 150/– रू0 के दर से दिये जाने का प्रावधान है।

2009–10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं को प्रावैधिक छात्रवृति हेतु क्रमशः 42.00 लाख एवं 1.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है।

2010–11 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं को प्रावैधिक छात्रवृति हेतु क्रमशः 42.00 लाख एवं 1.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना :–

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा जो बिहार विधालय समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीण होंगे, उन्हें मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना के तहत् 10000.00 रू0 देने की योजना 2008–09 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2008–09 में 4532 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

2009–10 में अनु0 जाति छात्र/छात्राओं के लिए 410.00 लाख रू0 एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 52.00 लाख रू0 स्वीकृत किये गये है। वर्ष 2009–10 में अबतक 4620 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

2010–11 में अनु0 जाति छात्र/छात्राओं के लिए 810.37 लाख रू0 एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 100.00 लाख रू0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रा को विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक परीक्षा के लिये परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 85.00 लाख रु0 गैर योजना से स्वीकृत किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 85.00 लाख रु0 गैर योजना से बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

बालिकाओं को पोशाक आपूर्ति :–

वर्ग 1 से 5 तक के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति की छात्राओं को प्रतिवर्ष 250 रुपये प्रति सेट की दर से दो सेट पोशाक की आपूर्ति की जाती है। प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम ऐसी छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति की जाती है जिन्हें छात्रवृतियॉ या अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहों है।

2009–10 में इस मद में योजना मद से अनुसूचित जाति के लिए 290 लाख एवं गैरयोजना मद से अनु0 जनजाति के लिए 2.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है। जिससे अबतक कुल 5497 छात्रा लाभंवित हुए है।

2010–11 में इस योजना के तहत मात्र वर्ग । एवं ।। की छात्रा को लाभ दिया जायेगा। इस मद में योजना मद से अनुसूचित जाति के लिए 200 लाख एवं गैरयोजना मद से अनु0 जनजाति के लिए 2.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

आवासीय विद्यालय :–

अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए 51 एवं अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिये 15 आवासीय विद्यालय संचालित है जिनमें क्रमशः 10696 अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं एवं 2512 अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था है।

राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश संख्या 347 दिनांक 2.3.07 द्वारा निम्नलिखित सामग्रियों के दरों में संशोधित किया गया हैः–

सुविधायें	दर	इकाई/वितरण क्षेत्र

1	2	3
भोजन	900/–	प्रति छात्र प्रतिमाह (दस माह के लिए)
विशेष भोजन	25/–	प्रति छात्र वर्ष में चार बार (अर्थात् 100/– वार्षिक)
वस्त्र	1500/–	प्रति छात्र प्रतिवर्ष
तेल, साबुन, सोडा (डिटरजेंट)	100/–	प्रति छात्र प्रतिमाह (दस माह के लिए)
दवा	100/– एवं 25/–	प्रति छात्र प्रतिमाह (दस माह के लिए) प्रति माह प्रति छात्रा (दस माह के लिए) (बालिकाओं के लिए, सेनेटरी नेपकीन हेतु अतिरिक्त)
पठन–पाठन सामग्री	1000/–	प्रतिछात्र प्रतिवर्ष (सभी विद्यालयों के लिए)
परिवहन	300/– 400/– 600/–	प्रतिमाह–50 आसन वाले संस्थान प्रतिमाह–100 आसन वाले संस्थान प्रतिमाह–248 आसन वाले संस्थान
सफाई मद	1000/– 2000/– 3000/–	प्रतिमाह–50 आसन वाले संस्थान प्रतिमाह–100 आसन वाले संस्थान प्रतिमाह–248 आसन वाले संस्थान
किरासन तेल	1200/– 2400/– 4800/–	प्रतिमाह–50 आसन वाले संस्थान प्रतिमाह–100 आसन वाले संस्थान प्रतिमाह–248 आसन वाले संस्थान
खेल–कूद सामग्री/प्रतियोगिता	5000/– 7000/– 10000/–	वार्षिक–प्राथमिक विद्यालय वार्षिक–मध्य विद्यालय वार्षिक–उच्च विद्यालय
सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव बागवानी इत्यादि	7500/– 10000/– 15000/–	वार्षिक–प्राथमिक विद्यालय वार्षिक–मध्य विद्यालय वार्षिक–उच्च विद्यालय
पुस्तकालय व्यय	1000/– 4000/– 7000/–	वार्षिक–प्राथमिक विद्यालय वार्षिक–मध्य विद्यालय वार्षिक–उच्च विद्यालय
दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका	2000/– 3000/– 4000/–	वार्षिक–प्राथमिक विद्यालय वार्षिक–मध्य विद्यालय वार्षिक–उच्च विद्यालय
व्यवसायिक प्रशिक्षण (सामग्री सहित)	500/–	प्रति छात्र प्रति वर्ष (सभी विद्यालय)
कम्प्यूटर प्रशिक्षण	500/–	प्रति छात्र प्रति वर्ष
सुरक्षा गार्ड	2000/–	प्रतिमाह के दर से तीन गार्ड/प्रति विद्यालय (8 घंटे प्रति गार्ड) एक वर्ष के लिए

<u>आवासीय विद्यालय के छात्रों का पोशाक संबंधी तालिका</u> :–

क्रमांक	मद का नाम	अवधि
1	2	3
1.	शर्ट	2 प्रति वर्ष
2.	पैंट	2 प्रति वर्ष
3.	कुर्ता	2 प्रति वर्ष

4.	पैजामा	2 प्रति वर्ष
5.	गंजी	2 प्रति वर्ष
6.	जांघिया	2 प्रति वर्ष
7.	स्वेटर	2 प्रति वर्ष
8.	तौलिया	1 प्रति वर्ष
9.	चप्पल	1 प्रति वर्ष
10.	जूता–चप्पल	2 प्रति वर्ष

आवासीय विद्यालय के छात्राओं की पोशाक संबंधी तालिका :–

क्रमांक	मद का नाम	अवधि
1	2	3
1.	फ्रॉक / कुर्ता	2 प्रति वर्ष
2.	सलवार	2 प्रति वर्ष
3.	ब्लाउज	2 प्रति वर्ष
4.	नाईट सूट	2 प्रति वर्ष
5.	समीज	2 प्रति वर्ष
6.	अन्तः वस्त्र	2 प्रति वर्ष
7.	स्वेटर	2 प्रति वर्ष
8.	तौलिया	1 प्रति वर्ष
9.	चप्पल	1 प्रति वर्ष
10.	जूता–मोजा / सैन्डल	2 प्रति वर्ष

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित

आवासीय विद्यालयों के लिए भोजन तालिका

	प्रातः 7 बजे	**सुबह 9 बजे**	**दोपहर 1 बजे**	**संध्या 4 बजे**	**रात्रि 8 बजे**
सोमवार	चना एवं गुड़	पूरी, सब्जी, 150 मि0ली0 दूध एवं एक अंडा	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, पापड़	समोसा –1 अदद, मौसमी फल –1 ''	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, खीर
मंगलवार	चना एवं गुड़	ब्रेड–4 अदद मक्खन, 150 मि0ली0 दूध एवं एक अंडा	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, पापड़	बिस्कुट – 5 अदद, मौसमी फल– 1 ''	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, सेवई
बुधवार	चना एवं गुड़	पूरी, सब्जी, 150 मि0ली0 दूध एवं एक अंडा	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, पापड़	कचौड़ी – 1 अदद, मौसमी फल–1 ''	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, खीर
वृहस्पतिवार	चना एवं गुड़	फ्राईड चावल, छोला 150 मि0ली0 दूध एवं एक अंडा	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, पापड़	समोसा –1 अदद, मौसमी फल–1 ''	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, सेवई

शुक्रवार	चना एवं गुड़	ब्रेड–4 अदद मक्खन, 150 मि0ली0 दूध एवं एक अंडा	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, पापड़	बिस्कुट – 5 अदद, मौसमी फल– 1 ''	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, खीर
शनिवार	चना एवं गुड़	फ्राईड चावल, छोला 150 मि0ली0 दूध एवं एक अंडा	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, पापड़	कचौड़ी – 1 अदद, मौसमी फल– 1 ''	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, सेवई
रविवार	चना एवं गुड़	पूरी, सब्जी, 150 मि0ली0 दूध एवं एक अंडा	**शाकाहारी**– चावल, रोटी,दाल, पनीर का सब्जी /सब्जी, सलाद, पापड़, भूजिया **मांसाहारी**– चावल, रोटी 150 ग्राम मीट/ चिकेन, सलाद, पापड़	समोसा – 1 अदद, मौसमी फल– 1 ''	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, खीर

आवासीय विद्यालय के लिए अवकाश तालिका – वर्ष–2010

क्र0	त्योहार के नाम	तिथि	सप्ताह के दिन	अवकाश के दिनों की संख्या (रविवार को छोड़कर)
1.	गणतंत्र दिवस	26.01.10	मंगलवार	01
2.	होली की छुट्टी	27.02.10 से 03.03.10 तक	शनिवार से बुधवार	04
3.	डा0 भीमराव अम्बेदकर जयंती	14.04.10	बुधवार	01
4.	ग्रीष्मावकाश	01.06.10 से 22.06.10 तक	मंगलवार से मंगलवार	19
5.	स्वतंत्रता दिवस	15.08.10	रविवार	00
6.	ईद'	10.09.10	शुक्रवार	01
7.	गाँधी जयंती	02.10.10	शनिवार	01
8.	दशहरा, दीपावली एवं छठ	14.10.10 से 13.11.10 तक	गुरूवार से शनिवार	27
9.	बकरीद'/ईद उल जोहा	17.11.10	बुधवार	01
10.	मुहर्रम	17.12.10	शुक्रवार	01
11.	क्रिसमस/बड़ा दिन की छुट्टी	25.12.10 से 31.12.10 तक	शनिवार से शुक्रवार तक	06
			कुल	**62 दिन**

नोटः– 1–होली की छुट्टी, ग्रीष्मावकाश, दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ अवकाश एवं क्रिसमस की छुट्टी में विद्यालय एवं छात्रावास पूर्णतः बन्द रहेगा।

2– ईद एवं बकरीद की छुट्टी चाँद के दृष्टिगोचर होने पर निर्भर करता है।

संधारण :–वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस मद में अनुसूचित जाति के लिए 3262.76 लाख एवं जनजाति के लिए 746.69 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस मद में अनुसूचित जाति के लिए 4103.61 लाख एवं जनजाति के लिए 828.85 लाख रूपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

नये आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति, निर्माण एवं जीर्णोद्धार :–

वित्तीय वर्ष 2005–06 में इस मद में अनुसूचित जाति बलिकाओं के लिए 13 आवासीय उच्च विद्यालय तथा एक बालक आवासीय उच्च विद्यालय खोलनें की स्वीकृति दी गई है। इन आवासीय विद्यालयों का संचालन किराया के भवनों में कराये जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 614.64 लाख रू0 स्वीकृत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनु0जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालय/ छात्रावासों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु 1505.00 लाख रू0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

छात्रावास –

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपस्कर, रसोइया सह सेवक की सेवायें, रोशनी, बर्तन इत्यादि सुविधायें सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक भी होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रुप में अधीक्षण भत्ता दिया जाता है और जिन पर छात्रावास के सुसंचालन का उत्तरदायित्व रहता है।

वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति के लिए 169.24 लाख रूपये एवं जनजाति के लिए 14. 63 लाख रूपये आवंटित किया गया है।

2010–11 में अनुसूचित जाति के लिए 358.80 लाख रूपये एवं जनजाति के लिए 21.75 लाख रूपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

निर्माण एवं जीर्णोद्धार :–

वर्ष 2009–10 में 210.00 लाख रू0 स्वीकृति किये गये है।

2010–11 में अनुसूचित जाति के लिए 200.00 लाख रूपये एवं जनजाति के लिए 10.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

पुस्तक अधिकोष :–

मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जातियों के छात्रों के लिये राज्य के मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलीटेकनिक, पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना की गई है। इन अधिकोषों के माध्यम से दो छात्रों पर एक सेट कोर्स की पुस्तके उपलब्ध करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस मद में अनु0जाति एवं जनजाति के लिए गैरयोजना में 11. 00 लाख रू0 स्वीकृत किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस मद में अनु0जाति एवं जनजाति के लिए गैरयोजना में 11. 00 लाख रू0 का बजट प्रावधान है।

अस्वच्छ कार्यो में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृति

यह केन्द्र प्रायोजित योजना एवं गैर योजना दोनों मदों से संचालित है। केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत राशि (दिनांक–1/4/2008 से) भारत सरकार द्वारा वहन किया

जाता है। इस योजना का उद्देश्य शौचालय की सफाई करने वालों, चर्मशोधन करने वालों,चमडा उधाड़ने वालों तथा सफाई कार्य से परम्परागत रूप से जुड़े सफाई कर्मचारियों के बच्चों को मैट्रीक पूर्व शिक्षार्जन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

छात्रवृत्ति की दर निम्नलिखित है–

छात्रावासी छात्रों के लिये–

वर्ग 3 से 10 तक– 700 रूपये प्रतिमाह 10 माह के लिये

दिवाकालीन छात्रों के लिये–

वर्ग 1 से 2 तक – 110 रूपये प्रतिमाह 10 माह के लिये ।

वर्ग 3 से 10 तक – 110 रूपये प्रतिमाह 10 माह के लिये ।

इसके अतिरिक्त सभी दिवा छात्र/छात्रा को 750/–रू0 प्रतिवर्ष एवं छात्रावासी को 1000/– रू0 तदर्थ अनुदान देनें का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में गैरयोजना में 70.00 लाख रू0 स्वीकृत किए गए हैं। जिससे अबतक कुल 1695 छात्र/छात्रा लाभंवित हुए है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में गैरयोजना में 70.00 लाख रू0 एवं केन्द्र प्रायोजित योजना में 20.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मुशहर एवं भुईंया जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति–

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मुसहर जाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम 1992–93 से शुरू किया गया है। इनके बच्चे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने जांय, इसके लिये विशेष प्रोत्साहन का भी प्रयास किया गया है जिसके अन्तर्गत मुसहर जाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय जाने पर 1 रूपये प्रति उपस्थिति दिवस (30/– प्रतिमाह) वर्ग 1 से 6 के लिये प्रावधान किया गया है ताकि वे छात्र/छात्राएं इससे प्रोत्साहित होकर विद्यालय जायं और बीच में ही वे विद्यालय न छोड़ें । वर्ष 2009–10 से भूंइयां जाति को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

इसके लिए वर्ष 2009–10 में इस मद में 200.00 लाख रूपये योजना के तहत् स्वीकृत किए गए हैं एवं गैर योजना मद मे 50.00 लाख रू0 स्वीकृति किए गए हैं। जिसमें 24094 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए हैं।

इसके लिए वर्ष 2010–11 में इस मद में 200.00 लाख रूपये योजना में एवं गैर योजना मद मे 50.00 लाख रू0 का बजट प्रावधान है ।

स्पोर्टस छात्रवृति की योजना–

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के लड़के–लड़कियॉ खेल–कूद में काफी रुचि लेते है, लेकिन समुचित व्वयस्था एवं समुचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें खेल–कुद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर नहों मिल पाता है।

इस योजना के तहत् बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनु0 जाति एवं जनजाति में क्रमशः 10.00 लाख एवं 1.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनु0 जाति एवं जनजाति में क्रमशः 10.00 लाख एवं 1.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र–

अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग एंव बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल होने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु पटना, भागलपुर एंव दरभंगा विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त अनु0जनजाति के लिए कटिहार में भी केन्द्र स्थापित किये गये है।

इन केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों को 125/– रू0 से 700/– रू0 तक प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति स्वीकृति का प्रावधान है। प्री–मेडिकल एंव प्री–इंजीनियरिंग एडमीशन टेस्ट के लिये भी तैयारी के लिये प्रशिक्षण के कार्यक्रम का प्रावधान है ।

बिहार लोक सेवा आयोग सहायक ग्रेड, आशुलिपिक, लिपिक ग्रेड, अंकेक्षण लेखा निरीक्षक, आयकर निरीक्षक आदि की परीक्षा में सफलीभूत होने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है।

2009–10 में अनुसूचित जाति के लिए गैरयोजना में 86.61 लाख रू0 स्वीकृत किये गये है।

2010–11 में अनुसूचित जाति के लिए गैरयोजना में 96.98 लाख रू0 का बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय–

इस विभाग के अन्तर्गत अनु0जनजाति के लिए 10 आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत है। प्रत्येक चिकित्सालय में एक वैद्य तथा एक वैद्य सहायक का प्रावधान है। इनमें से 4 केन्द्रों में 5–5 अन्तः वासी रोगियों की चिकित्सा का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में इन केन्द्रों के संधारण हेतु कुल 28.33 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में इन केन्द्रों के संधारण हेतु कुल 40.58 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण –

अनु0 जाति के व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण देकर रोजगार देने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 में 100.00 लाख रू0 की राशि स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में इन केन्द्रों के संधारण हेतु कुल 100.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

मेरिट उन्नयन योजना (के0प्रा0यो0)

इस योजना के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा अनु0जाति के वर्ग 9 से 12 कक्षा के छात्र/छात्रा को विशेष कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।
इस योजना के तहत् प्रति लाभुक 15,000/– रू0 व्यय करने का प्रावधान है।

वर्ष 2009–10 में इस योजना हेतु कुल 24.30 लाख रू0 स्वीकृत किये गये है।
आगामी वर्ष 2010–11 में कुल 25.00 लाख रू0 का बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

शोध कार्य –

राज्य अनु0जनजातियों पर उनके आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक विषयों पर शोध करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत् शोध कार्य किये जाने से उनके उत्थान हेतु विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस मद के संधारण हेतु कुल 5.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस मद के संधारण हेतु कुल 5.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

सेमीनार :–

विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं इसमें उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ गोष्ठि/सेमिनार का आयोजना किया जाये। साथही विभिन्न प्रकार के सूचना तंत्र के माध्यम यथा लीफलेट, हॉर्डिंग के माध्यम से योजनाओं के संबंध में सूचना लाभूको को दी जाये। इन कार्यों के लिए यह योजना ली गई है।

इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस कार्य हेतु 21.00 लाख रू0 स्वीकृत किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस कार्य हेतु 21.00 लाख रू0 का बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

वैधिक सहायता–

अनुसूचित जतियों को अन्तरित जमीन की वापसी, दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व संबंधी मुकदमे लड़ने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसी प्रकार दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व मूकदमों में फॅसे अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी गैर–अनुसूचित जाति के सदस्य से मुकदमा लड़ने हेतु वैधिक सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2009–10 में इस मद में 1.00 लाख रुपये अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत किये गये है।

वर्ष 2010–11 में इस मद में 1.00 लाख रुपये अनुसूचित जाति के लिए बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

अनु0 जाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता :

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता मद में राशि विमुक्त की जाती है। इसके साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2009–10 में राज्य योजना से 100.00 लाख रू0 अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान हेतु स्वीकृत किया गया है तथा 6078.94 लाख रू0 केन्द्रीय योजनागत योजना के तहत् स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2010–11 में राज्य योजना से 100.00 लाख रू0 अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान हेतु तथा 2500.00 लाख रू0 केन्द्रीय योजनागत योजना के तहत् बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 :

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु अनु0 जाति/जनजाति की अस्पृश्यता निवारण कार्य हेतु राशि स्वीकृत की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में गैर योजना में 0.10 लाख रू0 का स्वीकृति का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में गैरयोजना में 0.10 लाख रू0 का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,

1989, 30 जनवरी,1990 से पूरे बिहार में लागू किया गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका व्यय 50:50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, के नियम के 12(4) में वर्णित अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत का न्युनतम राशि का प्रावधान किया गया है।

कंमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि	दण्ड
1	2	3	4
1 2. 3.	अखाद्य घृणाजनक पदार्थ या खाना [(धारा 3(1) (i)] क्षति पहुचाना,अपमानित करना यो क्षुब्ध करना[(धारा 3(1) (ii)] अनादर सूचक कार्य [(धारा 3(1) (iii)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरुप और गंभीरता को देखते हुए रु0 25,000/– या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर,अपमान,क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिये जाने वाली भुगतान निम्नलिखित होगाः– (1) 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाय। (2) 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोष–सिद्व ठहराया जाए।	इस प्रकार के अत्याचार के लिए तीन माह से लेकर आजीवन कारावास/ मृत्यु दण्ड हो सकता है।
4. 5.	सदोष भूमि अधिभोग में लेना या उस पर कृषि करना आदि [(धारा 3(1) (iv)] भूमि,परिसर या जल से संबंधित [(धारा 3(1) (v)]	अपराध के स्वरुप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम रु0 25,000/– या उससे अधिक भूमि।परिसर। जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।	
6. 7.	बेगार या बलातश्रम या बंधुवा मजदूरी [(धारा 3(1) (vi)] मतदान के अधिकार के संबंध में [(धारा 3(1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 25,000/– रु0 प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष–सिद्व होने पर। प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रू0 20,000/– जो अपराध के स्वरुप और गंभीरता पर निर्भर है।	
8. 9.	मिथ्या,द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [(धारा 3(1) (viii)] मिथ्या या तुच्छ जानकारी [(धारा 3(1) (ix)]	रू0 25,000/– या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।	
10.	अपमान,अभित्रास [(धारा 3(1) (x)]	अपराध के स्वरुप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रु0 25,000/– तक। 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष–सिद्व होने पर।	
11. 12.	किसी महिला की लज्जाभंग करना [(धारा 3(1) (xi)] महिला का लैंगिक शोषण [(धारा 3(1) (xii)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 50,000/– रु0 चिकित्सा जॉच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति कर भुगतान किया जाए।	
13.	पानी गन्दा करना	1,00,000/–रु0 तक जब पानी को गन्दा कर दिया	

कंमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि	दण्ड
1	2	3	4
	[(धारा 3(1) (xiii)]	जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत उस स्तर पर जिसपर जिला प्रशासन द्धारा ठीक समझा जाए, भुगतान किया जाए।	
14.	मार्ग के रुढ़िजन्य अधिकार से बंचित करना [(धारा 3(1) (xiv)]	1,00,000/– रू0 तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नकुसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर 15 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष–सिद्ध होने पर।	
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना [(धारा 3(1) (xv)]	स्थल बहाल करना, ठरहने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रु0 25,000/– का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुननिर्माण, यदि नष्ट किया गया हो। पूरा लागत का भूगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाए।	
16.	मिथ्या साक्ष्य देना [(धारा 3(2) (i) और (ii)]	कम से कम रु0 1,00,000/– या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष–सिद्व होने पर अपराध के स्वरुप और गभ्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम रु0 50,000/–	
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना धारा [(धारा (2))	यदि अनुसूची में विशिष्ट रुप है अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा ।	
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीडन [(धारा 3(2) (vii)]	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप–पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दो–सिद्ध हो जाए, किया जाएगा।	
19.	नियोंग्यता। कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं0 – 462183 एच डब्ल्यू 3, तारीख 6 अगस्त, 1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता का उल्लेख किया गया है। (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य । (ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य । (ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम	 अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम रु0 1,00,000/– 25 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप–पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष– सिद्ध होने पर। अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम रु0 2,00,000/– 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट। चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर। उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी	

कंमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि	दण्ड
1	2	3	4
	है।	अनुपात में कम किया जाएगा ,भुगतान के चरण भी वही रहेंगें। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000/– से कम नही और परिवार के कमाने वाला सदस्य को रु0 30,000/– से कम नही होगा।	
20.	हत्या/मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले मे कम से कम रु0 प्रत्येक मामले मे कम से कम 1,00,000/–रू0 75 प्रतिशत् पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत् निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।	
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक के मामले मे कम से कम रु0 2,00,000/– 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।	
21.	हत्या,मृत्यु,नरसंहार,,बलात्संग,सामूहिक बलात्संग गॅग द्वारा किया गया बलात्संग स्थायी असमर्थता और डकैती।	उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रुप से की जाए। (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और या अन्य आश्रितों को रु0 1,000/– प्रति मास की दर से, या, मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार,, या कृषि भूमि, एक मकान, यदि आवश्यक हो, तो तत्काल खरीद द्वारा। (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्चा। बच्चों को आश्रम, स्कूलों, आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए। (iii) तीन मास का अवधि तक बर्तन, चावल, गेंहू, दालों आदि की व्यवस्था।	
22	पूर्णतया नष्ट करना। जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए।	

वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनु0 जाति / जनजाति लिए गैर योजना मद में 100.00 लाख एवं केन्द्र प्रायोंजित योजना में 42.56 लाख रूपये (केन्द्रांश एवं राज्यांश) स्वीकृत किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनु0 जाति / जनजाति लिए गैर योजना मद में 50.00 लाख एवं केन्द्र प्रायोंजित योजना में 80.00 लाख (केन्द्रांश एवं राज्यांश) का बजट प्रावधान प्रस्तावित है ।

अनु0 जन जाति के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता :

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। इसमें बी0पी0एल0 के नीचे के अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु परिसम्पत्ति उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2009–10 में इस मद में कुल 550 लाख रू0 स्वीकृत किये गये है। इसके अतिरिक्त 110 लाख रू0 की स्वीकृति प्रस्तावित है।

वर्ष 2010–11 में इस मद में कुल 605 लाख रू0 बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

संविधान की धारा 275(1):–

इस योजना के तहत जनजाति क्षेत्र के आधारभूत संरचना विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

वर्ष 2009–10 में इस मद में कुल 203.02 लाख रू0 स्वीकृत किये गये है।

वर्ष 2010–11 में इस मद में कुल 277.00 लाख रू0 का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

थारू अनु0जनजाति विकास :–

बिहार में थारू जाति को अनु0जनजाति में वर्ष 2003 में सम्मिलित किया गया है। इस थारू जनजाति के विकास के लिए विशेष रूप से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2008–09 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 125 करोड़ रू0 की योजना की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत् मुख्य रूप से प0 चम्पारण जिला के अनु0 जनजाति के लिए 5 बालक एवं 5 बालिका आवासीय उच्च विद्यालय स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ–साथ समेकित थरूहट विकास अभिकरण की स्थापना पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला में की गई है ।

वर्ष 2010–11 में इस मद में कुल 822.00 लाख रू0 बजट प्रावधान है।

अनु0 जाति उप योजना :

राज्य योजना/केन्द्रीय योजना के प्रत्येक प्रक्षेत्र हेतु जो भी भौतिक लक्ष्य निधारित है, उसका एक निर्धारित अंश से अनुसूचित जाति के सदस्यों को लाभ पहुंचाया जाता है और उसे अलग किये गये अंश का उपभोग मात्र अनुसूचित जाति के सदस्यों के कल्याण पर ही किया जाता है।

इसके लिये सामान्य विकास प्रक्षेत्रों में ऐसे ही योजनाओं का चयन किया जाता है, जो अनुसूचित जातियों के लिए लाभकारी हो। विशेष अंगीभूत योजना का लक्ष्य अनुसूचित जातियों के परिवारों को हर दृष्टि से कुशल एवं दक्ष बनाना है, ताकि उनकी आय में वृद्वि हो के और वे गरीबी रेखा से उपर उठ सके। विशेष अंगीभुत योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के विकास के विभिन्न विभागों द्वारा राशि कर्णांकित की जाती है और उनके द्वारा ही अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ पहुंचाने के उदद्श्य से विशेष अंगीभूत योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।

वर्ष 2009–10 में कुल राज्य योजना का 18.01 प्रतिशत प्रस्तावित है।

वर्ष 2010–11 में भी कुल राज्य योजना उद्व्यय का कम से कम 16 प्रतिशत राशि कर्णांकित की जायेगी।

अनु0 जनजाति उप योजना :

राज्य योजना/केन्द्रीय योजना के प्रत्येक प्रक्षेत्र हेतु जो भी भौतिक लक्ष्य निधारित है, उसका एक निर्धारित अंश जो अनु0जनजाति के जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए कर्णांकित किया जाता है।

वर्ष 2009–10 में कुल राज्य योजना का 1.16 प्रतिशत प्रस्तावित है।

वर्ष 2010–11 में भी कुल राज्य योजना उद्व्यय का कम से कम 1 प्रतिशत राशि कर्णांकित की जायेगी।